UPRP010075512025

न्यायालय, जनपद न्यायाधीश, रामपुर।

उपस्थित– भानु देव शर्मा (एच०जे०एस०)

प्रकीर्ण सिविल अपील संख्या–34/2025
(रजि०नं०–42/2025)

इन्दर लाल पुत्र स्व० लीलाधर, निवासी मडैयान नादर बाग (गंगापुर), तहसील सदर, जिला रामपुर। ....**अपीलार्थी/वादी।**

बनाम

उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद, कार्यालय निकट सूरज टाकिज रोड, सिविल लाईन्स, जिला रामपुर द्वारा सहायक अभियन्ता।............**प्रत्यर्थी/प्रतिवादी।**

निर्णय

1– प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील,अपीलार्थी/वादी द्वारा विद्वान सिविल जज (सी०डि०)/त्वरित न्यायालय, रामपुर द्वारा मूलवाद संख्या 48/2020, इन्दर लाल बनाम उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद में पारित आदेश दिनांकित 29–09–2025 से क्षुब्ध होकर योजित की गई है।

2– प्रश्नगत आदेश दिनांकित 29–09–2025 द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 7 ग निरस्त किया है।

3– अपीलार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत की गई है कि आदेश अवर न्यायालय खिलाफे कानून एवं खिलाफे वाक्यात है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। अवर न्यायालय ने पत्रावली का गहनता से अवलोकन नहीं किया तथा अपीलार्थी/वादी द्वारा पत्रावली पर दाखिल अभिलेखीय साक्ष्य को अनदेखा कर प्रार्थना पत्र 7 ग निरस्त कर विधिक त्रुटि की है। आदेश अवर न्यायालय नॉन स्पीकिंग आदेश है। अवर न्यायालय ने वादी/ अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र 7 ग पर गलत निष्कर्ष दिया है कि उक्त मिलकीयत सरकार जेरे अहतलाम जिलाधीश महोदय अंकित है तथा वादी का खसरा सं0–71 रकवा 11 बिस्वा जिसका स्थित ग्राम शादीनगर पट्टी छोटे, तहसील सदर, जिला रामपुर से कोई लेना–देना नहीं है व न ही इस भूमि का मालिक व काबिज है। जबकि वादी आराजी खसरा सं0–71

Digitally signed by BHANU DEO SHARMA
Date: 2026.03.28 15:39:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

रकवा 11 बिस्वा रिकॉर्डेड काबिज है तथा खसरा सं0–71 रकवा 11 बिस्वा पर करीब 50 साल से ज्यादा से काबिज चला आ रहा है। वादी के पुत्र का कारोबार के लिए बिजली का मीटर भी लगा हुआ है तथा वर्ष 1969 में ग्राम शादीनगर पट्टी छोटे की अन्य भूमि के साथ वादी की भूमि सं0–71 का भी अधिग्रहण करने की कार्यवाही बिना वादी की सहमति के अधिग्रहीत करने का अवार्ड पारित कर दिया गया तथा बिना अधिग्रहण के प्रतिकर की धनराशि अदा कर जबरन करने का प्रयास वर्ष 2020 में करने पर वादी द्वारा मूलवाद सं0–48/2020 दायर किया गया था। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा इस तथ्य को नजर–अन्दाज प्रार्थना पत्र 7 ग पर आदेश पारित किया गया, जो हरगिज निरस्त होने योग्य है तथा प्रथम दृष्टया वादी के हक में सिद्ध होने योग्य पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपने आदेश में वर्णित स्वयं किया है कि अवलोकन से विदित है कि उक्त विवादित सम्पत्ति आवास विकास परिषद, लखनऊ के नाम दर्ज है एवं प्रतिकर की धनराशि हीरालाल एवं जागन लाल प्राप्त कर चुके हैं। जबकि प्रतिवादी द्वारा परोक्ष रूप से स्वयं कहा गया है कि वादी / अपीलार्थी को कोई मुआवजा अदा नहीं किया गया है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपने आदेश में वर्णित किया गया है कि वादी अपने भाईयों की हीरालाल व जागन लाल को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। इस स्थिति में वादी का प्रथम दृष्टया मामला बनता प्रतीत नहीं होता है। जबकि प्रतिवादी / रेस्पोन्डेन्ट ने स्वयं कहा है कि हीरालाल व जागन लाल मुआवजा प्राप्त कर चुके हैं जिस कारण वादी द्वारा अपने भाईयों को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट का विवादित सम्पत्ति से कोई लेना–देना नहीं है तथा रेस्पोन्डेन्ट के स्वयं के कथन परस्पर विरोधानासी है तथा रेस्पोन्डेन्ट द्वारा स्वयं विवादित आराजी पर वादी का कब्जा एवं अधिग्रहीत करने की बात स्वीकार की गयी है। विवादित आराजी पर वादी के पिता व वर्तमान में वादी अपना कारोबार कर रहा है। इस प्रकार वादी का विवादित आराजी पर लगभग 80 साल से पुराना कब्जा है। अपीलार्थी का प्रथम दृष्टया वाद साबित है। सुविधा की तुला अपीलार्थी के पक्ष में है। रेस्पोन्डेन्ट का कोई ताल्लुक व वास्ता विवादित सम्पत्ति से कभी नहीं रहा है और न आज है। रेस्पोन्डेन्ट बिना किसी हक व अधिकार के विवादित आराजी पर कब्जा हड़पना चाहता है जिससे अपीलार्थी को क्षति होगी और प्रार्थना पत्र 7 ग निरस्त किये जाने से मूलवाद का उद्देश्य निष्फल हो जायेगा और वादों का गुणांक भी बढ़ेगा। अवर न्यायालय ने प्रार्थना पत्र 7 ग के

निस्तारण के समय उक्त तीनों मूल सिद्धांतों पर गहनतापूर्वक विचार नहीं किया गया है। अपील समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत है। उक्त तथ्यों एवं कथनों के आधार पर अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाकर आदेश अवर न्यायालय दिनांक 29–09–2025 निरस्त फरमाकर प्रार्थना पत्र 7 ग अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाने की कृपा करें।

4– अपीलार्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रश्नगत आदेश दिनांकित 29–09–2025 विधि विरूद्व एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत है। विद्वान अवर न्यायालय ने अभिलेख पर दाखिल साक्ष्य अभिलेखों का गहनता से परिशीलन नहीं किया और प्रार्थना पत्र 7 ग निरस्त किया है। प्रश्नगत आदेश स्पष्ट नहीं है। विद्वान अवर न्यायालय ने अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र 7 ग पर यह निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण लिया है कि उक्त सम्पत्ति सरकार जेरे अहतलाम जिलाधीश अंकित है। वादी /अपीलार्थी का खसरा नम्बर 71 रकबा 11 बिस्वा स्थित ग्राम शादीनगर पट्टी छोटे, तहसील सदर, जिला रामपुर से प्रत्यर्थी/प्रतिवादी का कोई लेना–देना नहीं है। प्रत्यर्थी का विषयगत भूमि पर कोई मालिकाना हक व काबिज नहीं है। वादी /अपीलार्थी आराजी गाटा संख्या–71 रकबा 11 बिस्वा इन्द्राज है तथा खसरा नम्बर 71 रकबा 11 बिस्ता पर करीब 80 साल से काबिज है। अपीलार्थी/वादी के पुत्र का कारोबार विषयगत सम्पत्ति पर चला हुआ है। बिजली का मीटर भी लगा हुआ है। अपीलार्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि वर्ष 1969 में ग्राम शादीनगर पट्टी छोटे की अन्य भूमि के साथ वादी/अपीलार्थी की भूमि गाटा संख्या –71 का भी अधिगृहण करने की कार्यवाही बिना वादी की सहमति के अधिग्रहीत कर अवार्ड पारित किया गया था। अधिग्रहण की कार्यवाही में प्रतिकर की धनराशि अदा कर जबरन कब्जा का प्रयास वर्ष 2020 में किया गया था। जिसके विरूद्व अपीलार्थी /वादी द्वारा मूलवाद संख्या–48/2020 दायर किया गया था। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा इस तथ्य को नजरअंदाज किया गया कि वादी का अधिकार विषयगत सम्पत्ति पर है। इसलिए वादी/अपीलार्थी का प्रथम दृष्टया वाद है। परन्तु विद्वान अवर न्यायालय ने इस तथ्य पर समुचित रूप से निष्कर्ष नहीं लिया है। उक्त विवादित सम्पत्ति आवास विकास परिषद, लखनऊ के नाम दर्ज है एवं प्रतिकर की धनराशि हीरालाल व जागनलाल प्राप्त कर चुके है। वादी/अपीलार्थी ने अधिग्रहण की कोई धनराशि प्राप्त नहीं की है। प्रत्यर्थी/ प्रतिवादी द्वारा परोक्ष रूप से स्वंय कहा गया है कि अपीलार्थी/वादी को कोई

मुआवजा अदा नही किया गया है। विद्वान अवर न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश में यह त्रुटि कारित की है कि वादी/अपीलार्थी ने अपने भाई हीरालाल व जागनलाल को वाद पक्षकार नहीं बनाया गया है और इस आधार पर प्रथम दृष्टया मामला न बनना निष्कर्षित किया है। प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ने स्वंय यह कहा है कि हीरालाल व जागनलाल प्रतिकर का मुआवजा प्राप्त कर चुके है। इसलिए वादी/अपीलार्थी को अपने भाई हीरालाल व जागनलाल को इस वाद में पक्षकार बनाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रतिवादी/प्रत्यर्थी के स्वंय के कथन विरोधाभासी है। प्रतिवादी /प्रत्यर्थी यह भी स्वंय स्वीकार किया है कि विवादित आराजी पर वादी का कब्जा है और अधिग्रहीत करने की बात स्वीकार की है। वादी/अपीलार्थी विवादित आराजी पर अपने पिता के साथ कारोबार करता है। विवादित आराजी पर उसका लगभग 80 साल से कब्जा है। वादी/अपीलार्थी का प्रथम दृष्टया वाद साबित हुआ है। सुविधा का सन्तुलन भी वादी/ अपीलार्थी के पक्ष में है। प्रत्यर्थी/प्रतिवादी बिना किसी हक व अधिकार के विवादित आराजी पर कब्जा करना चाहता है। इसके परिणामस्वरूप वादी/अपीलार्थी को अपूर्णनीय क्षति सम्भावित है और वाद बहुलता की सम्भावना है।

उक्त तर्को के साथ प्रश्नगत आदेश दिनांकित 29-09-2025 को निरस्त करते हुए अपीलार्थी/वादी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने के तर्क प्रस्तुत किये गये।

अपीलार्थी/वादी की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में विधि व्यवस्था **Writ Petition No.3255(MB) of 2004 Vijay Gopal Vs.U.P. Awas Evam Vikas Parished and others, Decided Dated 4th July, 2013, HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH**

5- प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त तर्को का विरोध किया और यह तर्क प्रस्तुत किया कि वादी/अपीलार्थी का विषयगत सम्पत्ति पर कोई स्वामित्व नहीं है और न ही कोई कब्जा है। विषयगत सम्पत्ति आवास विकास के पक्ष में अधिग्रहीत की जा चुकी है। अधिगृहण की कार्यवाही के विरूद्ध वादी/ अपीलार्थी न कोई आपत्ति सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। विषयगत सम्पत्ति नॉन जैड की भूमि है। उनका तर्क है कि विवादित आराजी पर मीटर लगाने से वादी/अपीलार्थी का विषयगत सम्पत्ति पर कोई हक साबित नहीं हो जाता। उनका तर्क है कि विषयगत सम्पत्ति की अधिग्रहण की कार्यवाही के परिणामस्वरूप पक्षकारों

को मुआवजा प्रदान किया जा चुका है। वादी अपीलार्थी को केवल विषयगत सम्पत्ति पर मुआयजा प्राप्त करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त शेष नही रहा है। उनका तर्क है कि विषयगत सम्पत्ति वादी एवं उसके भाईयों की संयुक्त सम्पत्ति है। वादी / अपीलार्थी किसी निश्चित भूभाग पर अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र 7 ग निरस्त कर अवर न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की है। उनका तर्क है कि विषयगत सम्पत्ति के सभी सहकब्जेदारों को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। जबकि विषयगत सम्पत्ति के अन्य कब्जेदार भी वाद में आवश्यक पक्षकार थे। इसलिए भी सम्बन्धित वाद संख्या–48/2020 में पक्षकारों के असंयोजन से दूषित है और प्रथम दृष्टया वाद नासाबित करता है। उनका तर्क है कि विषयगत सम्पत्ति के अधिग्रहण की कार्यवाही में वादी की सहमति अथवा असहमति का तथ्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष ही उठाया जा सकता है और उठाया जाना चाहिए था। इस आधार पर कि वादी/अपीलार्थी ने अधिग्रहण कार्यवाही में कोई सहमति नहीं दी थी, का कोई तात्विक एवं विधि सम्मत महत्व नहीं हैं उनका तर्क है कि क्योंकि विषयगत सम्पत्ति का अधिग्रहण मुआयजा प्रदान करके किया जा चुका है। इसलिए विषयगत सम्पत्ति पर वादी/अपीलार्थी का न तो प्रथम दृष्टया वाद शेष रह गया है और न ही सुविधा का सन्तुलन वादी/अपीलार्थी के पक्ष में है। इसके अतिरिक्त वादी/अपीलार्थी को अपूर्णनीय क्षति भी सम्भावित नहीं है। उनका तर्क है कि विद्वान अवर न्यायालय ने प्रार्थना पत्र 7 ग अस्थायी निषेधाज्ञा निरस्त करके कोई त्रुटि नहीं की है। प्रश्नगत आदेश पूर्णतः विधि सम्मत है।

प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में विधि व्यवस्था **State of U.P. Vs. Baij Nath Prasad, 2015(4) CIVIL COURT CASES 743 (ALLAHABAD)(DB), AZIM AHMAD KAZMI and others Versus STATE OF U.P. and another [2012(117)rd 424] (SUPREME COURT), GANPATIBAI AND ANR v. STATE OF M.P.AND ORS. SUPREME COURT REPORTER [2006]SUPP. 5 S.C.R., उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950, Shri Raghunath Sharan Agnihotari Verses Grish Chandra Yadav [2016(1)CAR 426(All)(DB), PURAN LAL BHANU@ PURAN Versus RAM SINGH and another [2021 (152)RD 618] (UTTARAKHAND HIGH COURT), INDORE DEVELOPMENT AUTHORITY**

VERSUS MANOHARLAL & ORS.ETC. S.L.P.(C)NOS. 9036–9038 OF 2016 DECIDED ON March 06, 2020, RADHEY SHYAM and others Versus STATE OF U.P.and others (2009 All.C.J.502), Jagtu Vs Suraj Mal & Ors. 2011(1) CIVIL COURT CASES 141 (S.C.) प्रस्तुत की गई।

6– उभय पक्षों के तर्कों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

7– संक्षेप में प्रस्तुत अपील के उद्भूत तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी/ वादी की ओर से योजित स्थायी निषेधाज्ञा के मूलवाद में संख्या–48/2020, इन्दर लाल बनाम उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद व एक अन्य में विचारण न्यायालय के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र 7 ग मय शपथ पत्र 8 ग इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया है कि वादी ने दावा वादी स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय हाजा में दायर किया है जिसमें कामयाबी की पूरी उम्मीद है। अतः प्रार्थना है कि तादौराने मुकदमा संलग्न हलफनामें में दी गई वजूहात की बिनाह पर जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादी उसके अधिकारीगण, नौकरान व एजेण्टान आदि को विवादित सम्पत्ति गाटा सं0–71 रकबा 0.137 हे० स्थित ग्राम शादीनगर पट्टी छोटे, तहसील सदर, जिला रामपुर से वादी को अवैध रूप से जबरदस्ती बिना किसी डिक्री या आदेश के बेदखल न करें व वादी के कब्जे व प्रयोग में किसी प्रकार से हस्तक्षेप करने से रोक दिया जाये।

चौहद्दी विवादित भूमि गाटा सं0–71 स्थित ग्राम शादीनगर पट्टी छोटे, तहसील सदर, रामपुर।

पूरब– सड़क

पश्चिम– राहे रजा

उत्तर– भूमि खसरा नं0–70 सम्पत्ति वादी,

दक्षिण– सड़क आवास विकान गंगापुर

शपथ पत्र में कथन किया है कि हालिफ अन्य कृषि भूमि के साथ भूमि गाटा सं0–71 रकयई 0.137 हे० (11 बिस्वा) स्थित ग्राम शादीनगर पट्टी छोटे, तहसील सदर, जिला रामपुर का अपने अन्य भाईयों नौबत राम, हीरालाल व जागन लाल पुत्रगण स्व० लीलाधर पुत्र भोनाराम के साथ दखीलकार काश्तकार व काबिज आराजी है। हालिफ और उसके भाईयों का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। हालिफ व हालिफ के भाईयों से पहले हालिफ के पिता स्व० लीलाधर पुत्र भोनाराम का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज था। भूमि गाटा सं 0–71 में हालिफ तथा उसके भाईयों द्वारा बनाया

हुआ कुछ जगह में आर्य समाज मन्दिर स्थित है। जिसमें धार्मिक गतिविधियां बराबर होती चली आ रही है। भूमि गाटा सं0–71 पर मन्दिर के अतिरिक्त चाय का होटल व खौका आदि हालिफ व हालिफ के भाई नौबतराम व इन्द्रलाल के बने हैं। जिन पर हालिफ और उसके पुत्रो का कारोबार चल रहा है। इस प्रकार हालिफ तथा उसके परिवार का इस भूमि पर कब्जा बराबर बना हुआ है जो निरन्तर चला आ रहा है। अभी तक भूमि गाटा सं0–71 का विभाजन नहीं हुआ है। प्रतिवादी ने वर्ष 1968 सन् 1969 में ग्राम शादीनगर पट्टी छोटे की अन्य भूमि के साथ–साथ हालिफ की भूमि नं0–71 को भी अधिग्रहण करने की कार्यवाही शुरू की, जिस पर हालिफ व उसके भाईयों ने आपत्ति की, कि भूमि का उपयोग अकृषिक रूप से वाणिज्यिक उपभोग में किया जा रहा है। तथा इस पर मन्दिर भी बना है और पूजा–पाठ होती है। जिसके पश्चात इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही सरकार या प्रतिवादी ने अधिग्रहण के सम्बन्ध में नहीं की, न ही कभी कोई नोटिस हालिफ को दिया, न कोई अन्य कार्यवाही प्रतिकर आदि के सम्बन्ध में की गयी। प्रतिवादी या उ०प्र० सरकार ने न तो विवादित गाटा सं०–71 के सम्बन्ध में कोई प्रतिकर की राशि हालिफ को दी न उससे या उसके भाईयों से कब्जे का हस्तान्तरण हुआ। हालिफ आज भी भूमि गाटा सं0–71 पर काबिज है। हालिफ उपरोक्त गाटा सं0–71 में अपने 1/4 भाग की भूमि पर अपने भाईयों के साथ बहैसियत दखीलकार काश्तकार काबिज है और उपरोक्त भूमि में उसका हित व अधिकार निहित है। प्रतिवादी के अधिकारीगण व कर्मचारीगण, हालिफ और उसके भाईयों से मौके पर आकर कब्जा हटाने की बात करते है। जबकि प्रतिवादी व उनके किसी कर्मचारी को इसका अधिकार नहीं है, जबकि प्रतिवादी व उसके कर्मचारी अपने पत्रो में इस बात को स्वीकार करते रहे हैं कि हालिफ व उसके भाईयों का उपरोक्त भूमि पर कब्जा है और उस पर मन्दिर भी बना है। प्रतिवादी के कर्मचारियों के द्वारा हालिफ को उसकी भूमि से बेदखल किये जाने के सम्बन्ध में कथन करने और दिनांक 22.04.2012 को हालिफ के भाई नौबतराम को उसके कब्जे से बेदखल करने की कोशिश करने के वाद नौबतराम ने न्यायालय सिविल जज (सि०डि०) रामपुर में दिनांक 24.04.2012 को प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद संस्थित कर दिया था जो अभी भी मु० नं०–139 सन् 2012 नौबतराम बनाम उ०प्र० आवास विकास परिषद के रूप में न्यायालय सिविल जज (सी०डि०)/(एफ०टी०सी०) रामपुर में लम्बित है। उक्त वाद नौबतराम ने केवल अपने नाम से

दायर किया था और उसमें अपने भाईयों के बीच किसी सेटेलमेन्ट की बात भी कही थी जो सर्वथा गलत थी। नौबतराम को स्व० लीलाधर के सभी वारिसों को वाद में पक्षकार बनाना चाहिये था, जो उसने नहीं किया। हालिफ ने विधिक राय के अनुसार उपरोक्त वाद सं0–139 सन् 2012 में पक्षकार बनने के लिये प्रार्थना पत्र दिनांक 17.11.2016 को प्रस्तुत किया, परन्तु न्यायालय ने आदेश दिनांकित 26.9.2018 के द्वारा हालिफ का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इसके पश्चात हालिफ के पास अपने अधिकारो की सुरक्षा के लिये कोई विकल्प नहीं बचा है। अतः यह वाद वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा के लिये दायर किया जा रहा है। हालिफ का प्राईमाफेसी केस सिद्ध है और सुविधा की तुला भी हालिफ के पक्ष में है। यदि प्रतिवादी तथा उसके अधिकारीगण व कर्मचारीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये। तब हालिफ को अपूर्णनीय क्षति होगी। न्यायहित में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार होने योग्य है तथा तादौराने मुकदमा संग्लन हलफनामे में दी गयी वजुहात की बिनाह पर जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादी उसके अधिकारीगण, नौकरान व एजेण्टान आदि को विवादित सम्पत्ति गाटा सं०–71 रक्बा 0.137 हे० स्थित ग्राम शादीनगर पटटी छोटे, तहसील सदर, जिला रामपुर से वादी को अवैध रूप से जबरदस्ती बिना किसी डिक्री या आदेश के बेदखल न करे व वादी के कब्जे व प्रयोग में किसी प्रकार से हस्तक्षेप करने से रोक दिया जाये। उक्त कारणों के आधार पर प्रतिवादी उसके अधिकारीगण, नौकरान व एजेंटान आदि को विवादित सम्पत्ति गाटा संख्या 71. रकबा 0.137 है० स्थित ग्राम शादीनगर पट्टी छोटे, तहसील सदर जिला रामपुर जिसके पूरब में सड़क, पश्चिम में राहे रजा, उत्तर में भूमि खसरा नं० 70 सम्पत्ति वादी, दक्षिण में सड़क आवास विकास गंगापुर से वादी को अवैध रूप से जबरदस्ती बिना किसी डिक्री या आदेश के बेदखल न करें।

8– प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की ओर से अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र 7ग के प्रतिउत्तर में आपत्ति कागज सं०–13C मय शपथ पत्र 14C इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत की गई कि संलग्न शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त किये जाने योग्य है। शपथ पत्र में सभी बिन्दुओं पर विस्तृत आपत्तियां प्रस्तुत की गई हैं। साथ ही प्रथम दृष्टाय वादी का कोई वाद नहीं बनता है और न ही सुविधा की तुला का भार वादी के पक्ष में है और न ही उसे किसी प्रकार की आर्थिक क्षति हो रही है। अतः वादी का प्रा्र्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त किये जाने योग्य है।

शपथ पत्र में कथन किया है कि वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा है। वादी विवादित आराजी का न ही स्वामी है और न ही काबिज है। वादी का प्रथम दृष्टया कोई वाद साबित नहीं होता है। तथा सुविधा की तुला का भार भी वादी के पक्ष में नहीं है और न ही वादी को विपक्षी के विरुद्ध वाद दायर करने का कोई कारण उत्पन्न हुआ है और न ही उससे कोई आर्थिक हानि होने की सम्भावना है। प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। वाद विधि विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। कालबाधित है। माननीय न्यायालय में पोषणीय नहीं है। निरस्त किये जाने योग्य है। अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के समर्थन में वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के पैरा सं० 2 में वर्णित कथन पूर्णतयः गलत, निराधार व कपोल कल्पित है। वादी का भूमि खसरा सं० 71 रकबा 11 बिस्वा जिसका बाके ग्राम शादीनगर पट्टी छोटे तहसील सदर जिला रामपुर से कोई लेना देना नहीं है यह न ही इस भूमि का मालिक है और न ही काबिज है। वादी विवादित आराजी का न मालिक था और न है। विवादित भूमि नान जेड०ए० की है। यह भूमि प्रान्तीय सरकार जेरे इन्तेजाम जिलाधिकारी रामपुर की स्वामित्व वाली राजकीय आस्थान की भूमि थी तथा भूमि अधिग्रहण उपरान्त उ० प्र० आवास विकास परिषद में निहित हो चुकी है। वादी को इस भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी के शपथ पत्र के पैरा सं० 3 में वर्णित कथन स्वीकार नहीं है। समस्त कथन निराधार व कपोल कल्पित है। वादी के शपथ पत्र के पैरा सं० 4 में वर्णित कथन स्वीकार नहीं है। वादी न कभी मालिक था और न है तथा काबिज भी नहीं है। वादी के शपथ पत्र के पैरा सं० 5 में वर्णित कथन स्वीकार नहीं है। उ०प्र० आवास विकास परिषद अधिनियम 1965 की धारा 32 के अन्तर्गत विवादित आराजी के अधिग्रहण की अन्तिम विज्ञप्ति निर्गत होने के उपरान्त अधिगृहीत भूमि के संबंध में कोई भी वाद संधार्य नहीं है। वादी के शपथ पत्र के पैरा सं० 6 में वर्णित कथन निराधार झूठा व कपोल कल्पित है। भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही कानूनी रूप से सार्वजनिक रूप में की गयी तथा वास्तविक भू स्वामियों को भूमि का मुआवजा दिया गया। वादी के शपथ पत्र के पैरा सं० 7 में वर्णित कथन निराधार, झूठा व कपोल कल्पित है। विपक्षी इस विवादित भूमि के मालिक व काबिज है। वादी न मालिक है और न काबिज है। अतः उसे बेदखल करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। वादी के शपथ पत्र के पैरा सं० 9 में वर्णित कथन इस स्तर तक स्वीकार है कि वाद सं०–139/12, नौबतराम बनाम उ० प्र० आवास विकास परिषद, न्यायालय सिविल जज (सी०डि०) एफ०टी०सी०

रामपुर में लम्बित है। शेष अस्वीकार है। वादी के शपथ पत्र के पैरा सं० 10 में वर्णित कथन स्वीकार है। वादी ने इस वाद में पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है। वादी के शपथ पत्र के पैरा सं० 11 में वर्णित कथन स्वीकार नहीं है। वादी के शपथ पत्र के पैरा सं० 12 में वर्णित कथन स्वीकार नहीं है। वादी / शपथकर्ता का प्रथम दृष्टया केस सिद्ध नहीं है और न ही सुविधा की तुला ही वादी के पक्ष में है। वादी विवादित भूमि का न मालिक है और न ही काबिज है बल्कि मात्र Tress Passer है। साथ ही अधिगृहीत भूमि के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय को वाद सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। ग्राम शादीनगर पट्टी छोटे, तहसील सदर जिला रामपुर के खसरा नं0–71 क्षेत्रफल 11 बिस्बा (पुख्ता) भूमि उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 (यू० पी० एक्ट नं० 1,1966) के अन्तर्गत आवासीय योजना हेतु विधिवत् अधिग्रहीत की गयी है। अधिग्रहण की कार्यवाही के लिये उक्त अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत विज्ञप्ति का प्रकाशन राजकीय गजट में दिनांक 22/09/1973 को हुआ। उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा गठित नियोजन समिति की बैठक दिनांक 20/08/1976 पी०डब्लू०डी० निरीक्षण भवन, रामपुर में आहूत की गयी थी। नियोजन समिति द्वारा आवासी गोजना हेतु भूनि अर्जित करने की संस्तुति की गयी। तत्पश्चात् परिषद अधिनियम की धारा–अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त हुई। उ०प्र० शासन की स्वीकृति प्राप्त हो जाने के उपरान्त परिषद अधिनियम की धारा 32 की विज्ञप्ति राजकीय गजट में दिनांक 27/01/1979 को प्रकाशित की गयी। परिषद अधिनियम की धारा–32 की विज्ञति निर्गत होने के पश्चात् उ०प्र० शासन द्वारा भू अध्याति अधि० 1894 की धारा–17 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत शासनादेश सं० – 7997/37–2–130 एच० वी०/77 दिनांक 15/02/1980 द्वार द्वारा अधिसूचना जारी की गयी। (संलग्नक तथानुसार विशेष भूमि अध्याति/अधिकारी कलक्टर द्वारा भू–अध्याशि अधिनियम 1894 की धारा 9 के अन्तर्गत इन्दर लाल आदि व्यक्तियों को नोटिस जारी किया गया। धारा–9 के नोटिस के उपरान्त खसरा सं0–71 के साथ–साथ अन्य खसरों की भूमि का भौतिक कब्जा विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी मेरठ द्वारा दिनांक 23–00–1983, 24–12–1982 को उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद को दिया गया। भू–अध्याप्ति अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत योजना की अधिग्रहीत भूमि का अभिनिर्णय दिनांक 06/07/1984 एवं दिनांक

21/04/1986 को घोषित किया गया। खसरा सं०–71 की भूमि में प्रतिवादी सं०–1 व 2 का कोई स्वामित्य नहीं था बल्कि विवादित भूमि नान–जेड०ए० की है। जिस पर प्रान्तीय सरकार जेरे इन्तेजाम जिलाधिकारी रामपुर की स्वामित्व वाले राजकीय आस्थान की भूमि थी। भूमि अधिग्रहण के उपरान्त परिषद में निहित हो चुकी है। इस भूमि के संबंध में एक वाद राजस्व परिषद इलाहावाद में चला था जिस पर माननीय राजस्व परिषद इलाहावाद द्वारा निर्णय पारित किया जा चुका है, जिसके अनुसार प्रश्नगत भूमि नान जेड०ए० घोषित की गयी है तथा राजकीय आस्थान की भूमि 2 घोषित की गयी है। वाद उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा 88 के प्राविधानों से बाधित है। क्योंकि वादी ने उत्तरदाता विपक्षीगण को वाद दायर करने से पूर्व 2 माह का विधिवत् नोटिस नहीं दिया गया। अतः वाद पोषणीय नहीं है और सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है। प्रतिकर की धनराशि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी / कलक्टर द्वारा वितरित की जाती है जिसके लिये कलक्टर द्वारा धारा–9 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा श्री हीरा लाल व श्री जागन लाल पुत्रगण श्री लीलाधर अपने पारिवारिक बंटवारे के अनुसार अपने हिस्से की अनुग्रह धनराशि प्राप्त कर चुके हैं। साथ ही विभाग द्वारा 60 वर्ग गज भूखण्ड भी दिये गये हैं। लेकिन वादी ने न कभी भूमि अध्याप्ति अधिकारी / कलक्टर से प्रतिकर धनराशि प्राप्त करने हेतु सम्पर्क किया और न ही विपक्षी आवास विकास से अनुग्रह धनराशि प्राप्त करने हेतु सम्पर्क किया। विवादित भूमि राजकीय आस्थान की सम्पत्ति रही है जिसका अधिग्रहण विपक्षी आवास विकास हेतु किया जा चुका है तथा खतौनी में आवास विकास परिषद का नाम चढ़ चुका है। इस भूमि पर वादी मात्र काबिज काश्तकार के रूप में दर्ज थे अर्थात पूर्ण स्वामित्व राज्य सरकार का था वादी का इस भूमि पर स्वामित्व नहीं था। प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि वादी इस भूमि पर Tress Passer के रूप में विद्यमान है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है।

9– अस्थाई अनुतोष के लिये विधितः वादी से यह अपेक्षित है कि वादी तीन तथ्य दर्शित करे, जिनमें प्रथमतः प्रथमदृष्टाय वाद होना साबित करे, द्वितीयतः सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में होना दर्शित करे एवं तृतीयतः यदि अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष न दिया जाये तो वादी को अपूर्णीय क्षति होना भी दर्शित करे।

10– विद्वान अवर न्यायालय ने इस निष्कर्ष के साथ अपीलार्थीगण/वादीगण का

प्रार्थना पत्र 7 ग निरस्त किया है कि "अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्न 3 बिन्दुओं पर विचार किया जाना है–

1– प्रथम दृष्टाय मामला

2– सुविधा का सन्तुलन

3– अपूर्णनीय क्षति

11– उभयपक्षों के तर्को के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का प्रथम दृष्टाय वाद की दृष्टि से परिशीलन किया।

प्रस्तुत वाद अपीलार्थी/वादी द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी/वादी की ओर से मामले में प्रथम दृष्टया वाद दर्शित करने के लिए वाद पत्र में यह अभिकथन किया है कि वह अन्य कृषि भूमि के साथ भूमि गाटा संख्या –71 रकबा 0.137 हे० स्थित ग्राम शादीनगर पट्टी छोटे, तहसील सदर, जिला रामपुर का अन्य भाइयों हीरालाल व जगनलाल के साथ दखिल काश्तकार व काबिज आराजी है। वादी और उसके भाईयों का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी व उसके भाईयों से पहले वादी के पिता स्व० लीलाधार राजस्व र रिकार्ड में दर्ज था। भूमि गाटा संख्या–71 में वादी तथा प्रतिवादी संख्या–2 नौबतराम वादी के अन्य भाइयों द्वारा बनवाया हुआ कुछ जगह में आर्य समाज स्थित है, जिसमें धार्मिक गतिविधियां चल रही है। भूमि गाटा संख्या–71 मन्दिर के अतिरिक्त चाय का होटल व खोका आदि वादी व वादी के भाई नौबतराम के बने है। इस पर वादी व वादी के पुत्रों का कारोबार चल रहा है। इस प्रकार वादी व उसके परिवार का इस भूमि पर कब्जा बराबर हुआ है। अभी भी भूमि गाटा संख्या–71 का विभाजन नहीं हुआ है। प्रतिवादी ने वर्ष 1968 में ग्राम शादीनगर पट्टी छोटे की अन्य भूमि के साथ साथ वादी की भूमि गाटा 71 को भी अधिग्रहण करने की कार्यवाही शुरू की, जिस पर वादी व उसके भाईयों ने आपत्ति की कि भूमि का उपयोग अकृषक रूप से वाणिज्यिक उपभोग में किया जा रहा है तथा इस पर मन्दिर बना है तथा पूजापाठ होती है। इसके पश्चात् इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही सरकार या प्रतिवादी ने अधिग्रहण के सम्बन्ध में नहीं और न ही कभी कोई नोटिस वादी को दिया। न कोई अन्य कार्यवाही प्रतिकर आदि के सम्बन्ध में की गई। प्रतिवादी या उत्तर प्रदेश सरकार ने तो विवादित आराजी गाटा संख्या–71 के सम्बन्ध में कोई प्रतिकर की राशि वादी को दी और न ही उससे और उसके भाईयों से कब्जे का हस्तान्तरण हुआ है। वादी आज भी गाटा संख्या–71 पर काबिज है। वादी उपरोक्त गाटा संख्या–71 में

अपने ¼ भाग की भूमि पर अपने भाईयों के साथ बहैसियत दखिल काश्तकार काबिज है और उपरोक्त भूमि में उसके हित व अधिकार निहित है।

12– प्रत्यर्थी/प्रतिवादी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की ओर से प्रतिवाद पत्र में यह अभिकथन किया गया है कि वादी व अन्य इस विवादित आराजी के मालिक नहीं थे, बल्कि विवादित भूमि नॉन जैड ए की है। प्रान्तीय सरकार जेरे इन्तेजाम जिला अधिकारी रामपुर की स्वामित्व वाली राजकीय भूमि थी। भूमि अधिग्रहण के उपरान्त उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में निहित है। अधिग्रहण उपरान्त वादी को इस भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद 1965 की धारा–32 के अन्तर्गत विवादित आराजी के अधिग्रहण की अन्तिम विज्ञप्ति निर्गत होने के उपरान्त अधिग्रहीत भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद ग्राहय नहीं है। विवादित भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। विपक्षी को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। वाद पत्र में अधिग्रहण की कार्यवाही वादी ने स्वीकार की है। वादी का प्रथम दृष्टया केस सिद्व नहीं है। सुविधा की तुलना भी वादी के पक्ष में नहीं है। वादी विवादित भूमि का मालिक व काबिज नहीं है। वादी/अपीलार्थी केवल अतिक्रमणकारी है। अधिग्रहण की कार्यवाही के लिए उक्त अधिनियम की धारा–28 के अन्तर्गत विज्ञप्ति का प्रकाशन राजकीय गजट में किया जा चुका है। परिषद अधिनियम की धारा–31 के अन्तर्गत स्वीकृति हो चुकी है। राजस्व अभिलेख खतौनी में आवास विकास परिषद का नाम इन्द्राज है। इस भूमि पर वादी मात्र काबिज काश्तकार के रूप में दर्ज थे। पूर्ण स्वामित्व राज्य सरकार का था। वादी का इस भूमि पर कोई स्वामित्व नहीं है।

13– यद्यपि प्रथम दृष्टाय वाद का तात्पर्य प्रथम दृष्टाय स्वामित्व से नहीं है, बल्कि प्रथम दृष्टाय वाद का तात्पर्य एक ऐसे सदभाविक व सारभूत प्रश्न से है, जो कि न्यायालय के समक्ष वाद लाता है और न्यायालय वादी से उन तथ्यों से साबित करने की अपेक्षा रखता है।

प्रथम दृष्टाय वाद का तात्पर्य यह है कि वादी अपने साक्ष्य एवं अभिकथनों से यह दर्शित करे कि उसके द्वारा न्यायालय के समक्ष लाया गया प्रश्न न केवल गंभीर प्रकृति का है, बल्कि ऐसे प्रश्न का अवधारण न्यायालय द्वारा किये जाने योग्य है।

14– अस्थाई निषेधाज्ञा के लिये प्रथम दृष्टाय वाद का तात्पर्य यह है कि न्यायालय के समक्ष सारभूत प्रश्न विचारण के लिए उत्पन्न हुआ हो। प्रथम दृष्टाय वाद का तात्पर्य प्रथम दृष्टाय स्वामित्व से नहीं है, जो कि विचारण में साक्ष्य से अवधारित किया जाना

है। प्रथम दृष्टाय वाद का तात्पर्य केवल सारभूत, सदभाविक प्रश्न से है, जिसकी जांच व गुणावगुण के निस्तारण की आवश्यकता है। जैसा कि **सत्य प्रकाश बनाम प्रथम अपर जिला जज, एटा, ए.आई.आर. 2002 इलाहावाद 198 एवं दलपत कुमार बनाम प्रहलाद सिंह ए.आई. आर. 1993 (एस.सी.)** 276 में माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिद्धांत प्रतिपादित किया है।

15– उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय ने प्रथमदृष्टाय वाद निर्वचन करते हुए यह अवधारित किया है कि ऐसा वाद, जो न्यायालय के समक्ष विचारणीय सदभाविक प्रश्न एवं वह न्यायालय द्वारा अवधारण किए जाने योग्य हो, प्रथमदृष्टाय वाद कहलाता है।

16– वस्तुतः इस मामले में प्रथमदृष्टाय वाद अवधारण किया जाना आवश्यक है, क्योंकि जहां प्रथमदृष्टाय वाद साबित होगा अर्थात् वादी के वाद से न्यायालय के समक्ष सदभाविक, सारभूत प्रश्न उठाया जाना साबित होगा, उसके उपरान्त ही पक्षकारों के बीच सुविधा के संतुलन व अपूर्णीय क्षति के तथ्य का विचारण किया जाना आवश्यक व समीचीन रह जायेगा। सारभूत, सदभाविक गम्भीर प्रश्न वह है, जिसमें ऐसे प्रश्न को उठाने वाले व्यक्ति ने अपने वाद के समस्त अभिकथनों को स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है।

17– इस मामले में अपीलार्थी/वादी की ओर से विषयगत संपत्ति पर प्रार्थना पत्र 7 ग से अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष की वांछा की है। अपीलार्थी/वादी की ओर से उपरोक्त विषयगत संपत्ति में अपने स्वत्व को दर्शित करने के लिए विषयगत सम्पत्ति को अपने भाईयों के सहस्वामित्व व सहकब्जे में होने का कथन किया है। अपीलार्थी/वादी की ओर से विषयगत सम्पत्ति गाटा संख्या–71 के वर्ष 1968–69 में अधिग्रहण की कार्यवाहियों के तथ्य को स्वीकार किया है। अपीलार्थी/वादी की ओर से अधिग्रहण की कार्यवाही में कोई भी प्रतिकर अथवा नोटिस प्राप्ति न होने का अभिकथन किया है।

18– अतः वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र 7 ग के तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी/वादी को मूलवाद में विषयगत गाटा के अधिग्रहण की कार्यवाहियों में कोई प्रतिकर प्राप्त न होने से क्षुब्धता उत्पन्न होना अभिलेख से दर्शित है। अभिलेख पर दाखिल प्रलेखों से यह स्पष्ट है कि विषयगत गाटा के अधिग्रहण की कार्यवाहियां पूर्ण हो चुकी है और विषयगत सम्पत्ति का स्वत्व उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद में निहित हो चुका है। विषयगत

सम्पत्ति गाटा संख्या–71 के अधिग्रहण की कार्यवाहियों में अपीलार्थी / वादी को प्रतिकर प्राप्त न होने का तथ्य स्थायी निषेधाज्ञा के वाद में अधिनिर्णित नहीं किया जा सकता। अधिग्रहण की कार्यवाहियों में प्रतिकर प्राप्ति एवं प्रतिकर से उत्पन्न क्षुब्धता के तथ्य समुचित प्राधिकारी द्वारा ही निष्कर्षित किये जा सकते है।

19– उल्लेखनीय तथ्य भी है कि अपीलार्थी /वादी ने विषयगत सम्पत्ति गाटा संख्सया– 71 के ¼ का ही स्वंय के कब्जे व स्वत्व होने का उल्लेख किया है। अभिलेख पर अपीलार्थी/वादी की ओर से ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं किया है कि गाटा संख्या–71 के किस ¼ भाग का स्वत्व व कब्जा उसके पास है अर्थात् गाटा संख्या–71 का अपीलार्थी/वादी एवं उसके भाईयों के मध्य पूर्व में ही विभाजन होने का तथ्य अभिलेख पर दाखिल नहीं है।

20– अतः अपीलार्थी/वादी इस तथ्य को सदभाविक रूप से प्रकट करने में पूर्णतः असफल रहा है कि गाटा संख्या–71 रकबा 0.137 हे० के अधिग्रहण के कार्यवाही में प्रतिकर न लिए जाने का परिणामी प्रभाव किस प्रकार से अपीलार्थी/ वादी के पक्ष में स्वत्व व कब्जा रहने के आधार पर उसका विषयगत सम्पत्ति पर प्रथम दृष्टया वाद शेष रह गया है। अपीलार्थी/वादी ने विषयगत सम्पत्ति को सहस्वामित्व की सम्पत्ति होना अभिकथित किया है और अपने स्वत्व की भूमि की कोई परिमाप अथवा सहखातेदारों के साथ विभाजन का कोई प्रलेख प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए अपीलार्थी /वादी विषयगत सम्पत्ति के सन्दर्भ में निश्चित अभिकथनों को प्रकट करने में पूर्णतः असफल रहा है।

21– अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वादपत्र में वांछित अनुतोष से संबंधित विषयगत संपत्ति का वाद पत्र में दिया गया विवरण प्रथम दृष्टाय इस प्रकार स्पष्ट नहीं है कि अपीलार्थी/वादी का अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में दर्शित गाटा संख्या–71 के किस अंश पर स्वामित्व व कब्जा है।

22– अतः वादी/अपीलार्थी का वाद प्रथम दृष्टाय सदभाविक होना स्पष्ट नहीं है। वादी/अपीलार्थी के अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के तथ्यों से वादी का अभिकथन सदभाविक व सारवान रूप से प्रकट नहीं होता है। अतः जहां वादी का वाद प्रथम दृष्टाय सदभाविक न हो वहां अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष पारित नहीं किया जाना चाहिए, भले ही उसे अपूर्णनीय क्षति होती हो।

विधि व्यवस्था **कांशीमठ संस्थान एवं अन्य बनाम श्रीमद सुधीन्द्र तीर्थ स्वामी**

एवं अन्य, 2010 (1) सी.सी.सी. 791 (एस.सी.) में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि जहाँ वादी का प्रथम दृष्टाय वाद साबित न हो, वहाँ अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता, चाहे भले ही अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्रदान न करने से वादी को अपूर्णनीय क्षति भी होती हो और सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में हो।

23– उपरोक्त विवेचन उपरांत यह निष्कर्षित होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादी के प्रार्थना पत्र 7 ग के निरस्तीकरण में इस निर्णय में दिये गये निष्कर्ष के आलोक में कोई विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की है।

24– अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं अभिलेख पर दाखिल सामग्री को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील निरस्त किये जाने एवं अवर न्यायालय का प्रश्नगत आदेश दिनांकित 29–09–2025 पुष्ट किये जाने योग्य है।

आदेश

अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील संख्या–34/2025, इन्दरपाल बनाम उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद निरस्त की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय का प्रश्नगत आदेश दिनांकित 29–09–2025 पुष्ट किया जाता है।

उभय पक्ष अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

इस निर्णय की एक प्रति के साथ मूल अभिलेख अवर न्यायालय को अविलम्ब प्रतिप्रेषित किया जाए।

दिनांकः28–03–2026

(भानु देव शर्मा)
जनपद न्यायाधीश
रामपुर।
J.O.Code–UP6545

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

दिनांकः28–03–2026

(भानु देव शर्मा)
जनपद न्यायाधीश
रामपुर।
J.O.Code–UP6545